20 — TWENTY RUPEES

बीस रुपये

(200)

श्री

अपील क्र.———

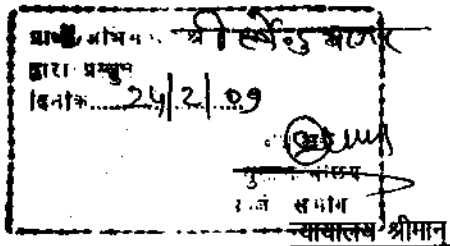

—अपील अन्तर्गत धारा 47 :क: उपधारा 5 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम—

प्राप्ति ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24/2/09

Received Comp. ... 25/2/09

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियार

A · 254-I/09

श्री शिवकुमार पिता श्री माधोप्रसादजी जायसवाल
निवासी 34 स्टेशन रोड़ रतलाम ———— अपीलांट

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प रतलाम
3. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन
4. श्री अम्बाराम पिता केशुराम कुलम्बी
5. श्री बद्रीलाल पिता केशुराम कुलम्बी
   निवासीयान ग्राम हरियाखेड़ी तेहसील पिपलोदा जिला रतलाम. ———— रेस्पान्डेन्ट्स

—द्वितीय अपील—

मान्यवर महोदय,

अपीलांट यह द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 396/2004—05 अपील में पारीत आदेश दिनांक 06.01.2009 से असंतुष्ट होकर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करता हैं :—

1. अपीलार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :—
   शिवप्रसाद पिता माधोप्रसादजी जायसवाल, व्यवसाय व्यापार, निवासी 34 स्टेशन रोड़ रतलाम

2. लिखतम निष्पादन करने वाले का नाम,पिता/पति का नाम,व्यवसाय तथा पता :—
   अम्बाराम पिता केशुराम कुलम्बी, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम हरियाखेड़ा तेह. जावरा जिला रतलाम
   बद्रीलाल पिता केशुराम कुलम्बी, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम हरियाखेड़ा तेह. जावरा जिला रतलाम

3. लिखित के अधिन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुरा नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :—
   शिवप्रसाद पिता माधोप्रसादजी जायसवाल, व्यवसाय व्यापार, निवासी 34 स्टेशन रोड़ रतलाम

4. लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार :—
   विकय पत्र दिनांक 06.08.2003

5. रजिस्ट्रीकरण कमांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम, जहॉ लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो :—
   अपंजीकृत, प्रतिवेदन कमांक 48, दिनांक 06.08.2003 सब रजिस्ट्रार कार्यालय रतलाम.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील-254/दो/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24/10/2011 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	